न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया।

CNR-UPAU 040025792021

दिनांक 08.06.2021

मुकदमा अपराध संख्या 21/2021 अन्तर्गत धारा–304,323,352,325 भा0दं0सं0 थाना फफूंद जिला औरैया के अभियोग में अभियुक्त भूरे यादव उर्फ आलोक की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 07.06.2021 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

अभियुक्त का कथन है कि उक्त अभियोग में उसे राजनैतिक पार्टी बन्दी के कारण गलत तथ्य दर्शाकर झूठा फंसाया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। अभियोजन कथानक असत्य एवं निराधार है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अपराध अनन्यतः सत्र परीक्षणीय व अजमानतीय है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रश्नगत अभियोग में अभियुक्त पर हत्या ही श्रेणी मे न आने वाले गैर इरादतन हत्या का आक्षेप है। अपराध अजमानतीय, गम्भीर प्रकृति का एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत के पर्याप्त आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त भूरे यादव उर्फ आलोक का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
औरैया।
J.O.No.U.P.2137